रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--25 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—25

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02082025-265172
CG-DL-W-02082025-265172

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 2—अगस्त 8, 2025 (श्रावण 11, 1947)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 2—AUGUST 8, 2025 (SRAVANA 11, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	365
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	737
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	7
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	3989
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	2655
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	3807
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	365
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	737
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	3989
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2655
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	3807
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2025

सं. 4(4)/2021—एसडीआई (एफटीएस: 13210): इस मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 4(5)/03-डीआई और दिनांक 13 अप्रैल, 2017, की अधिसूचना संख्या 4 (17)/2016 - एसडी-I में आंशिक संशोधन करते हुए, संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) की शीर्ष समिति की संरचना, कार्य, भूमिका और उत्तरदायित्व को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:—

1.	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, (प्रभारी - जेपीसी प्रभाग)	— अध्यक्ष
2.	सेल से निदेशक स्तर के प्रतिनिधि	— सदस्य
3.	एनएमडीसी से निदेशक स्तर के प्रतिनिधि	— सदस्य
4.	मेकॉन से निदेशक स्तर के प्रतिनिधि	— सदस्य
5.	रेलवे बोर्ड से कार्यपालक निदेशक स्तर के प्रतिनिधि	— सदस्य
6.	खान मंत्रालय से संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	— सदस्य
7.	उप निदेशक, भारतीय सांख्यिकी संस्थान	— सदस्य
8.	अध्यक्ष, ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन	— सदस्य
9.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन	— सदस्य
10.	उप महानिदेशक, इस्पात मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के प्रतिनिधि के रूप में।	— सदस्य

2 . कार्य, भूमिका और उत्तरदायित्व:

1. व्यापक डेटा संग्रहण और रखरखाव

समिति लौह एवं इस्पात के सभी उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, डीलरों और उपभोक्ताओं से, ऐसी जानकारी और डेटा प्राप्त करेगी जो एक व्यापक और अद्यतन डेटाबेस बनाए रखने के लिए आवश्यक हों। इसमें सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उत्पादन, मूल्य, संचलन, खपत और अन्य प्रासंगिक मापदंड शामिल होंगे। समिति कच्चे माल, विद्युत उत्पादन, सुरक्षा, जनशक्ति, स्थिरता मापदंड आदि जैसे अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अपने डेटा कवरेज का भी विस्तार करेगी ।

2. इकाई- स्तर पर जानकारी का रखरखाव

समिति देश भर में प्रचालित लौह एवं इस्पात इकाइयों की सूची का रखरखाव करेगी जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिले और खंड के आधार पर वर्गीकृत हैं तथा इकाइयों के बंद होने, उनके विलय पुनर्गठन या पुनर्संरचना के बारे में अद्यतन जानकारी, का रख-रखाव करेगी।

3. वैश्विक उद्योग संबंधित रुझानों को शामिल करना

समिति उत्पादन, खपत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, मूल्य संबंधी रूझानों आदि पर डेटा सहित वैश्विक लौह एवं इस्पात उद्योग के प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतकों की निगरानी करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

4. जियोस्पेसियल(भू-स्थानिक) मैपिंग

समिति रणनीतिक योजना, अवसंरचना विकास और संसाधन मानचित्रण में सहायता के लिए संपूर्ण भारत में लौह एवं इस्पात संयंत्रों, खदानों, स्लरी पाइपलाइनों आदि के भू-स्थानिक डेटा का रख-रखाव करेगी और उसको अद्यतित करेगी।

5. डेटाप्रवाह (फ्लो) तंत्र का विकास

समिति लौह एवं इस्पात संयंत्रों सहित हितधारकों से सूचना का प्रभावी और समयबद्ध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संगठनात्मक संरचनाओं, पद्धतियों और कार्यविधियों को विकसित और कार्यान्वित करेगी ।

6. डेटा विश्लेषण और प्रसार

समिति उद्योग निकायों, सरकारी एजेंसियों और जनता सहित विभिन्न हितधारकों के लिए लौह एवं इस्पात उद्योग से संबंधित डेटा के विश्लेषण और इसके प्रसार के लिए उत्तरदायी होगी।

7. सहायक इकाइयों का गठन

समिति अपने कार्यों के प्रभावी और कुशलतापूर्वक निर्वहन के लिए आवश्यक सांख्यिकीय या अन्य विशिष्ट इकाइयों का गठन और उनका रखरखाव करेगी ।

8. सरकार को आवधिक रिपोर्टिंग

समिति लौह एवं इस्पात क्षेत्र के नीति निर्माण, निगरानी और समीक्षा में सहायता के लिए इस्पात मंत्रालय को नियमित रूप से व्यापक और विश्लेषणात्मक जानकारी और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

9. निधि प्रबंधन

समिति इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार पिछले आदेशों के तहत संचित या इस्पात मंत्रालय द्वारा सौंपी गई किसी अन्य निधि के प्रबंधन और संचालन के लिए उत्तरदायी बनी रहेगी।

10. अनुसंधान और क्षेत्रीय अध्ययन के लिए सहायता

समिति इस्पात मंत्रालय द्वारा सौंपे गए लौह एवं इस्पात क्षेत्र और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित अध्ययन, सर्वेक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को शुरू करेगी या उनको सहायता प्रदान करेगी ।

11. अतिरिक्त कार्य:—

- शीर्ष समिति जेपीसी के अपने संसाधनों का प्रबंधन कर सकती है, तथा इसकी स्थायी परिसंपत्तियों का प्रबंधन कर सकती है ।
- शीर्ष समिति समग्र स्वीकृत पदों के भीतर जेपीसी में भर्ती को मंजूरी दे सकती है ।
- शीर्ष समिति आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग /संविदा आधार पर जेपीसी में विशेषज्ञों / परामर्शदाताओं / युवा पेशेवरों (यंग प्रोफेशनल) आदि की नियुक्ति को मंजूरी दे सकती है ।
- शीर्ष समिति प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी और जेपीसी के लिए वार्षिक कार्य योजना / बजट को अनुमोदन प्रदान करेगी तथा जेपीसी की लेखापरीक्षित रिपोर्ट और जेपीसी द्वारा प्रबंधित एवं संचालित अन्य निधियों को स्वीकार करेगी ।
- समिति आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित सदस्यों, विशेषकर तकनीकी संस्थानों को सहयोजित कर सकती है ।
- समिति लौह एवं इस्पात क्षेत्र की रणनीतिक आवश्यकताओं और उभरती प्राथमिकताओं के अनुरूप इस्पात मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करेगी ।

नेहा वर्मा
निदेशक

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 30th July 2025

No. 4(4)/2021-SDI (FTS:13210)—In partial modification of this Ministry's Notification No. 4(5)/03-DI dated the 18th August, 2008 and Notification No. 4(17)/2016-SD-I dated 13th April, 2017, the composition, functions, roles and responsibilities of the Apex Committee of the Joint Plant Committee (JPC) shall be amended as follows:—

1. AS/JS, Ministry of Steel (In-charge - JPC Division) - Chairman
2. Dir level representative from SAIL - Member
3. Dir level representative from NMDC - Member
4. Dir level representative from MECON - Member
5. ED level representative from Railway Board - Member
6. JS level representative from Ministry of Mines - Member
7. Deputy Director, Indian Statistical Institute - Member
8. President, All India Induction Furnace Association - Member
9. President, Chhattisgarh Sponge Iron Manufacturers Association - Member
10. DDG, Ministry of Steel, as a representative from Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) - Member

2. Functions, Roles and Responsibilities:—

1. Comprehensive Data Collection and Maintenance

   The Committee shall obtain from all producers, processors, dealers, and consumers of iron and steel such information and data as may be required for maintaining a comprehensive and updated database. This shall include production, prices, movement, consumption, and any other relevant parameters in accordance with the provisions of the Collection of Statistics Act, 2008. The Committee shall also expand its data coverage to include other sectors such as raw materials, power generation, safety, manpower, sustainability parameters, etc.

2. Maintenance of Unit-Level Information

   The Committee shall maintain listings of iron and steel units operating across the country, categorized by State/UT, district, and segment and maintain up-to-date information on closure, merger, reorganization, or restructuring of units.

3. Coverage of Global Industry Trends

   The Committee shall monitor and report key performance indicators of the global iron and steel industry, including data on production, consumption, international trade, price trends, etc.

4. Geo-Spatial Mapping

   The Committee shall maintain and update geo-spatial data of iron and steel plants, mines, slurry pipelines, etc. across India to aid strategic planning, infrastructure development, and resource mapping.

5. Development of Data Flow Mechanisms

   The Committee shall evolve and implement suitable organizational structures, methods, and procedures to ensure effective and timely flow of information from stakeholders including iron and steel plants.

6. Data Analysis and Dissemination

   The Committee shall be responsible for the analysis, and dissemination of data on the iron and steel industry to various stakeholders including industry bodies, government agencies, and the public.

7. Constitution of Support Units

   The Committee may form and maintain statistical or other specialized units as may be necessary for the discharge of its functions effectively and efficiently.

8. Periodic Reporting to the Government

The Committee shall regularly submit comprehensive and analytical information and reports to the Ministry of Steel to support policy formulation, monitoring, and review of the iron and steel sector.

9. Fund Management

The Committee shall continue to be responsible for the management and operation of the Steel Development Fund (SDF) and any other funds accumulated under previous orders, or as entrusted by the Ministry of Steel, in accordance with directions issued by the Government from time to time.

10. Support for Research and Sectoral Studies

The Committee shall undertake or support studies, surveys, and research activities related to the iron and steel sector and allied domains, as may be entrusted by the Ministry of Steel.

11. Additional Functions:—

- The Apex Committee may manage JPC's own resources, and manage its permanent assets.
- The Apex Committee may sanction recruitment to JPC within the overall sanctioned posts.
- The Apex committee may sanction engagement of experts / consultants / Young Professionals etc. in JPC as per need on outsourcing / contract basis.
- The Apex Committee shall meet at least once every year and approve the annual action plan / budget for JPC and accept the audited reports of JPC and other funds managed and operated by JPC.
- The Committee may co-opt special invitees, especially technical institutes as per need.
- The Committee shall perform such other duties and functions as may be assigned by the Ministry of Steel from time to time, in alignment with the strategic needs and evolving priorities of the iron and steel sector.

NEHA VERMA
Director

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

KSHITIZ MOHAN Digitally signed by KSHITIZ MOHAN Date: 2025.08.02 08:58:15 +05'30'